सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00059

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 07/2018

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवास मकान नम्बर 266, वार्ड नम्बर 02, लालगढजाटान तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लालगढजाटान, पंचायत समिति सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लालगढ जाटान, पंचायत समिति सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को विधि विरूद्व उसके खरीद शुदा प्लाट से बेदखल करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.08.2018 को एक नोटिस दिया गया जो पूर्णतया विधि विरूद्व, खिलाफ कानून है निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

:: आदेश :: **दिनांकः 26.11.2020**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्लाट नम्बर 266 वार्ड नम्बर 2, लालगढजाटान को जरिये बैयनामा दिनांक 20.08.1986 को खरीद किया हुआ है और शान्तिपूर्वक अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.11.2008 को इसी प्रकार का नोटिस दिया गया था जिसके जांच के पश्चात दिनांक 21.11.2008 को विधिपूर्वक आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के हक में यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है पूर्व में पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस निरस्त किया जाता है। प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा दिनांक 12.05.2011 को भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिया कि प्रार्थी द्वारा कोई नाजायज निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा पट्टा है जिसका सबूत प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस दिनांक 07.02.2018 को बिना किसी प्रक्रिया अपनाये अतिक्रमण हटाने का आदेश 7 दिवस का दिया है जबकि प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा विधि विरूद्व कार्यवाही की जा रही है इसलिये प्रार्थी के पास श्रीमान जी के समक्ष निगरानी पेश करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं गया है प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज से जो निगरानी के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बैयनामा द्वारा प्लाट संख्या 266 वार्ड नम्बर 2 लालगढजाटान और जिसका विधिपूर्वक पंचायत रिकॉर्ड में अमल दरामद है तथा जिसका अवलोकन किये बिना ही तथा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस दिये गये वह पंचायत के पास है उनका अवलोकन किये बिना उक्त नोटिस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

दिया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व है यदि इस नोटिस से प्रार्थी के मकान को तोड़ दिया तो प्रार्थी का ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया और सुविधा संन्तुलन भी प्रार्थी के हक में है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी को दिया गया नोटिस दिनांक 07.02.2018 निरस्त किया जावें।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत से तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्लाट नम्बर 266 वार्ड नम्बर 2, लालगढजाटान को जरिये बैयनामा दिनांक 20.08.1986 को खरीद किया हुआ है और शान्तिपूर्वक अपने परिवार के साथ निवास कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 19.11.2008 को इसी प्रकार का नोटिस दिया गया था जिसकी जांच के पश्चात दिनांक 21.11.2008 को विधिपूर्वक आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के हक में यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी को निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। पूर्व में पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस निरस्त किया जाता है। प्रार्थी के हक में ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा दिनांक 12.05.2011 को भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिया कि प्रार्थी द्वारा कोई नाजायज निर्माण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी का खरीदशुदा पट्टा है जिसका सबूत प्रार्थी ने प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस दिनांक 07.02.2018 को बिना किसी प्रक्रिया अपनाये अतिक्रमण हटाने का आदेश 7 दिवस का दिया है। प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं गया है प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज जो निगरानी के साथ प्रस्तुत की किये जा रहे है से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बैयनामा द्वारा प्लाट संख्या 266 वार्ड नम्बर 2 लालगढजाटान विधिपूर्वक पंचायत रिकॉर्ड में अमल दरामद है जिसका अवलोकन किये बिना ही तथा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस दिये गये वह पंचायत के पास है उनका अवलोकन किये बिना उक्त नोटिस दिया गया है जो पूर्णतया विधि विरूद्व है अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी को दिया गया नोटिस दिनांक 07.02.2018 निरस्त किया जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता को जारी नोटिस दिनांक 07.02.2018 अतिक्मण हटाने का जो नोटिस दिया गया है वह जिला जनअभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिवाद के निस्तारण हेतु दिया गया था। अतिक्र्मी निगरानीकर्ता द्वारा वार्ड नम्बर 02 गांव लालगढजाटान में सार्वजनिक गुवाड़ (चौंक) में अतिक्मण किया हुआ है जिससे समस्त ग्रामवासी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला जनअभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण 25/2017 में विकास अधिकारी पंचायत समिति सादूलशहर को निर्देशित किया गया है कि अतिक्मण हटावाकर पालना रिर्पोट आगामी बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिसकी पालना में निगरानीकर्ता को अतिक्मण हटाने बाबत नोटिस दिनांक 07.02.2018 जारी किया गया है। जो विधिसम्मत् है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.02.2018 बहाल रखा जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता को नोटिस दिनांक 07.02.2018 अतिक्रमण हटाने का जो दिया गया है वह जिला जनअभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति में ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिवाद के निस्तारण हेतु दिया गया था। अतिक्र्मी निगरानीकर्ता द्वारा वार्ड नम्बर 02 गांव लालगढजाटान में सार्वजनिक गुवाड़ (चौंक) में अतिक्रमण किया हुआ है सार्वजनिक चौंक की भूमि पर अतिक्रमण से समस्त ग्रामवासियों को परेशानी का सामान करना पड़ता है। ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा अतिक्रमण हटाने पर दिनांक 07.02.2018 को निगरानीकर्ता को जारी नोटिस विधिसम्मत् है जिसे निरस्त करना न्यायहित में नहीं है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लालगढजाटान द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.02.2018 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 26.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर